तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.1.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हैं। प्रकरण में Interim बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A. 1955 पूर्व में ही सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा वांछित अनुतोष चाहा गया। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थी के पिता रोडू पुत्र तुलस्या जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामनगर खेडारसूलपुर को राणा प्रताप डेम के विस्थापित होने से उन्हें तत्समय खाता संख्या 115 की ख.नं. 289 की 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके माल ग्राम अरलाई तह० रा. मण्डी में आवंटित हुई थी। जिसका इंतकाल भी प्रार्थी के पिता के पक्ष में खोला गया था। विधिवत प्रार्थी के पिता को दखलनामा भी दिया। तब से ही रोडू (आवंटी) अपने जीवन काल तक उक्त आराजी को काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। जिस पर गत वर्ष खरीफ में सोयाबीन तथा रबी में धनिया की फसल बोई थी। वकील प्रार्थीगण ने पुनः कथन उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किया कि विवादित भूमि खाता संख्या 115 में स्थित ख.नं. 289 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम अरलाई तह० रा०मण्डी एक बड़ा खसरा रहा है। जिसके कई टुकड़े किये गये तथा कई खसरे बने थे। हम वर्तमान स्थिति अनुसार ख.नं. 359 पर काबिज है जबकि नक्शे में उस भूमि को ख.नं. 360 भी बता दी है। अप्रार्थीगण ख.नं. 360 पर काबिज है। हमारे लिये इसके लिये रेकार्ड में दुरुस्ती के लिए धारा 88, 188 R.T.A. 1955 का दावा भी लगा दिया है। वकील प्रार्थीगण ने पुन: कथन किया कि ख.नं. 359 के 14 खातेदार है, जिनमें से 7 की जमीन को देवकरण गुर्जर s/o कजोड़ जाति गुर्जर निवासी अरलाई तह० रा० मण्डी ने Regd Sale deed से खरीदी है। जिसका इंतकाल भी खुल गया तथा रेकार्ड में देवकरण गुर्जर का नाम भी आ गया। लेकिन उक्त भूमि के मूल खातेदारों का अभी बंटवारा नहीं हुआ है। आप इनका हिस्सा खरीद सकते हो किन्तु जब तक उक्त

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

व	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि का बंटवारा ना हो, कब्जा काश्त नहीं करेंगे। तब तक क्रेता कि स्थिति एक stranger की रहेगी। अपने इन कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थीगण ने Citation छगन लाल बनाम स्टेट आफ राजस्थान RRD. 1993 अपील सं. 90/Bhilwara/87 निर्णय दिनांक 15.04.1993 प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार कोई भी हिस्सेदार अपने हिस्से का विक्रय तो कर सकता है, परन्तु अविभाज्य आराजी में क्रेता तब तक कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह अन्य सह भागीदार (खातेदारों) के साथ विधिवत विभाजन न कर ले। अन्य सहभागीदार (खातेदार) की इच्छा विरुद्ध ऐसा क्रेता कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि बंटवारे के जरिये आराजी को सुनिश्चित न करा ले और तब तक क्रेता की हैसियत एक stranger की ही मानी जायेगी। परन्तु यह कौनसी जमीन है? इससे यह साबित नहीं होता है। इसके अलावा वकील प्रार्थीगण ने एक और Citation राजस्व मण्डल अजमेर की धरमपाल सिंह बनाम भगवान सिंह रिविजन नं. 76/Alwar/87 निर्णय दिनांक उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	28.01.1993 पेश थी जिसके अनुसार एक सहभागी अपने हिस्से को विक्रय तो कर सकता है परन्तु जब तक क्रेता अन्य सह भागीदार से आपस बंटवारा नहीं करा ले, क्रेता सहभागी कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता। जिससे क्रेता के विरुद्ध एवं स्थगन आदेश उचित हुआ है। क्योंकि संयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का हर इंच पर अधिकार है। इसके विपरित वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत भूमि प्रार्थीगण द्वारा उनको आवंटन होना बता रहे हैं। परन्तु इनके द्वारा उक्त आवंटन से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। न कोई ऐसा दस्तावेज जो पेश करें जिससे उनको आवंटन होना साबित हो सके। ख.नं. 359 पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा ही नहीं रहा। उस पर शुरू से ही अप्रार्थीगण और उनके पूर्वज काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा इसी आधार पर ही विक्रय पत्र आलेखित किया गया है। सेटलमेन्ट से पूर्व और सेटलमेन्ट के बाद भी

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
ख. नं. 359 पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। सेटलमेन्ट द्वारा किसी प्रकार का गलत इन्द्राज नहीं किया गया है। वर्तमान में विवादित ख. नं. 359 पर हम ही काबिज हैं जिस पर सोयाबीन की फसल लगी थी जो वर्तमान में कट रही है। तत्समय मनभर बाई वगैरह नाबालिग थी इस कारण से उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाया। परन्तु इसका एग्रीमेन्ट है मेरे पास। वकील अप्रार्थीगण ने पुनः कथन किया कि हमारे द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं किया जा रहा है। ग्राम भरवाई की भूमि ख. नं. 359 रकबा 1.11 है० पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है। जो कि वर्षों से चला आ रहा है। इनकी कोई जमीन नहीं है। मेरे खेत से 1 K.m. दूर इनकी जमीन है। अगर हमने इनकी जमीन पर कब्जा किया है तो ये थाने में क्यूं नहीं गये। एक बार ये थाने में तो जाते। कुछ कार्यवाई तो करते। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ये सेटलमेन्ट की गलती की कह रहे हैं, 6 वर्ष हो गये, तब ये क्या कर रहे थे। जब हमने इस भूमि का क्रय किया तब आये हैं। ये सेटलमेन्ट की दुरुस्ती का वाद 6 वर्ष पहले क्यूं नहीं लाये? ये जमीन रोड़ पर है। इनकी जमीन अन्दर है। अब रोड़ की जमीनों की कीमत बढ़ गई है इसलिये ये न्यायालय में दावा और यह प्रार्थना पत्र लेकर आये हैं। जबकि रोड़ पर जमीन तो हमारी है।
	इसके बाद वकील प्रार्थीगण ने पुन: कथन किया कि हम खातेदार है उक्त भूमि पर काबिज होने का मत नहीं कह रहे हैं। क्रेता द्वारा भूमि को खरीदा गया है। उसके लिये यह दावा और प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है।
	हमारे द्वारा पत्रावली का सम्योपरांत अवलोकन किया गया। मनन किया गया। प्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजात तथा अप्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत जवाब आदि को ध्यान पूर्वक देखा जाकर सम्यक विचार

[illegible] अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के सुसंगत प्रावधानों के परिपेक्ष्य में इसको तौला गया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस यह कथन किया है कि विवादित भूमि पुराना ख. नं. 289 काफी बड़ा खसरा रहा है, जिसके कई टुकड़े किये गये तथा कई खसरे बने। वर्तमान स्थिति अनुसार इस ख.नं. 359 पर काबिज है जबकी नक्शे में वर्तमान में ख.नं. 360 है। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2071-2074 ग्राम अरलाई पटवार हल्का खेड़ारसूलपुर खाता नं. नया 101 पुराना 89 में स्थित ख. नं. 359 अप्रार्थी क्रम संख्या 3, 4, 5, 6, 11 तथा 14 के नाम पर शामलाती रूप में दर्ज है। अतः इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के हक में पाया जाता है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि को स्वयं का काबिज काश्त होना बताया गया है। जबकी उक्त विवादित	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि खाता सं. नया 101 पुराना 89 में स्थित ख. नं. 359 रकबा 1.11 है० किस्म बारानी-III का बेचान विक्रेता कन्याबाई वगै० द्वारा क्रेता उपकरण पुत्र रूजोड़ लाल गुर्जर नि० भरलाई तह० रा० मण्डी [अप्रार्थी क्र० 14] के पक्ष में दिनांक 19/05/2015 को किया जा चुका है। जिस पर अप्रार्थी क्रम 14 उपकरण द्वारा सोयाबीन की फसल लगा रखी है, जिसकी कटाई वर्तमान में चल रही है। वकील प्रार्थीगण के द्वारा इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया। अत: वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी क्रम 14 का कब्जा काश्त किये जाने के कारण सुविधाओं का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।
	उक्त विवादित भूमि पूर्व से ही अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि इस प्रकरण में उन्हें कोई अपूरणीय क्षति वर्तमान में उन्हें कोई अपूरणीय क्षति हो रही है। अत: प्रार्थीगण को वर्तमान में कोई अपूरणीय क्षति
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
होना नहीं पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचना आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधाओं का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में होने तथा किसी भी प्रकार से अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को नहीं होने की दशा में यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.1.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अनिल कुमार सिंघल उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी (कोटा)	